



Neutral citation no. 2026:AHC:55870

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या – 49587 वर्ष 2025

राजेंद्र प्रसाद शर्मा

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....विपक्षी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : मोहम्मद आसिम जुल्फिकार,
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन भी किया।

2. यह तत्काल आवेदन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 2, आगरा द्वारा दिनांक

09.05.2024 को पारित आक्षेपित आदेश साथ-साथ शिकायत मामले संख्या 523 वर्ष 2019 "श्रीमती आशा

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



देवी बनाम राजेंद्र प्रसाद शर्मा" की पराक्राम्य लिखत अधिनियम धारा 138, थाना हरि पर्वत, जिला आगरा की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत इस शिकायत के माध्यम से आरोप लगाया है कि आवेदक ने 3,00,000 रुपये की राशि का चेक जारी किया था। उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत करने पर, "अपर्याप्त निधि" की टिप्पणी के साथ इसे अनादृत कर दिया गया। इसके बाद, आवेदक को एक वैधानिक नोटिस जारी किया गया था और बाद में शिकायत दाखिल की गई। आगे प्रस्तुत किया गया कि आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और दो आधारों पर आपत्ति दर्ज की। पहला, यह कि वैधानिक नोटिस 11.06.2019 को भेजा गया था और आवेदक को 13.06.2019 को प्राप्त हुआ था। नोटिस प्राप्त होने की तिथि से एक माह की वैधानिक अवधि 14.07.2019 को समाप्त हो गई थी; हालांकि, शिकायतकर्ता ने 10.07.2019 को, यानी निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले शिकायत दर्ज की। इसलिए, शिकायत समय से पहले की गई है और विधि की दृष्टि से मान्य नहीं है। दूसरा, विचाराधीन चेक की तिथि 20/01/2019 है, हालांकि महीने में कुछ बदलाव प्रतीत होता है। उक्त तिथि के अनुसार, तीन महीने की वैधता अवधि 20/04/2019 को समाप्त हो गई थी; हालांकि, चेक 04/05/2019 को, निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया था, जिससे यह लागू करने योग्य नहीं रह गया। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि शिकायतकर्ता ने नोटिस में चेक की तिथि गलत उल्लेखित की है, जिससे विसंगति उत्पन्न होती है। गुण-दोष के आधार पर, यह तर्क दिया गया है कि चेक एक भूखंड के प्रतिफल के रूप में सशर्त जारी किया गया था, इस समझ के साथ कि इसे विक्रय विलेख के निष्पादन के बाद ही भुनाया जाएगा। शिकायतकर्ता कथित तौर पर विक्रय विलेख निष्पादित करने में विफल रहा और उसने आवेदक को बिना सूचना दिए समय से पहले चेक प्रस्तुत कर दिया।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विद्वान मजिस्ट्रेट ने आवेदक की आपत्ति पर विचार किए बिना, सामान्य तरीके से आवेदक की आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया कि **अदालत प्रसाद बनाम रूप लाल जिंदल और अन्य, 2004 (II) उच्चतम न्यायालय (आपराधिक) 1927=2005** के विचार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित टिप्पणी के साथ, धारा 204 सीआरपीसी के तहत समन के बाद न्यायालय/मजिस्ट्रेट के पास उसे वापस लेने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि **अमित सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2013 (1) जे.आई.सी. 2017 इलाहाबाद** के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखने के बाद, धारा 249, 258, 262, 265 Cr.PC के तहत रिहाई मान्य नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता ने अंत में प्रस्तुत किया कि मामले के गुण-दोष पर विचार किए बिना और तथ्यों पर गौर किए बिना, आवेदक द्वारा दायर आपत्ति को खारिज कर दिया जाए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **भूषण कुमार और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य, एआईआर 2012 सुप्रीम कोर्ट 1747** में दिए गये निर्णय पर भरोसा जताया और प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"17) यह अंतर्निहित है कि संहिता की धारा 251 में, जब कोई अभियुक्त समन के तहत जारी किए गए समन के अनुसार परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है, तो समन *विचारण* मामले में संहिता के अनुसार, धारा 204 के तहत *विचारण न्यायालय* का यह कर्तव्य है कि वह आरोप पत्र या शिकायत में लगाए गए आरोपों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करे और साक्ष्यों पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि क्या कोई अपराध हुआ है या नहीं। और यदि उत्तर सकारात्मक है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को आरोप का सार समझाएगा और उससे पूछेगा कि क्या वह दोषी मानता है; अन्यथा, वह *संहिता* की धारा 239 के अनुसार अभियुक्त को बरी करने के लिए बाध्य है।"

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे अरविंद केजरीवाल और अन्य बनाम अमित सिबल और अन्य (2014) 1

हाई कोर्ट केस (दिल्ली) 719 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी भरोसा जताया है और प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 8 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:-

8. यह निःसंदेह सत्य है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत प्रसाद बनाम रुपलाल जिंदल और अन्य (2004)

7 एससीसी 338 में यह निर्णय दिया है कि समन आदेश को वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन भूषण कुमार और कृष्ण कुमार (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के संदर्भ में, उपरोक्त निर्णय का

यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि एक बार समन आदेश जारी हो जाने के बाद विचारण अवश्य ही किया

जाए। अगर ऐसा ही होना हो, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत नोटिस तैयार करने के चरण में

आरोपी की सुनवाई का क्या उद्देश्य रह जाता? इस न्यायालय की विचारणीय राय में, अदालत प्रसाद

(उपरोक्त) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि समन शिकायत

मामले में कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत नोटिस तैयार

करने के चरण में किसी आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला न बनने पर भी कार्यवाई की जा सकती है।

उपरोक्त दृष्टिकोण से, इस याचिका और आवेदन का बिना टिप्पणी किए निपटारा किया जाता है।

इस मामले के गुण-दोष पर विचार करते हुए और याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय के समक्ष उठाए गए

तर्कों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए, यह कहना अनावश्यक है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251

के तहत नोटिस के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचारण न्यायालय द्वारा

तर्कसंगत आदेश पारित करके विचार किया जाएगा, ताकि यदि आवश्यक हो तो याचिकाकर्ता कानून में

उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सके। चूंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 305 से संबंधित तर्क इस मामले की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जड़ तक जाता है, इसलिए जब तक निचली अदालत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 251 के तहत नोटिस के मुद्दे पर सुनवाई समाप्त नहीं हो जाती, तब तक याचिकाकर्ता की निचली अदालत के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व विधिवत अधिवक्ता द्वारा किया जा रहा है, जो किसी प्रकार स्थगन की मांग नहीं कर रहा है। ”

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी प्लास्टिक बनाम महदूम बाबा बहरुद्दीन नूरुल, 2025 आईएनएससी 1133 के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया और प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या

8.1 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:-

8.1 उपरोक्त संबंध में विफलता, अर्थात् जब परंतुक (ख) के नोटिस में चेक की राशि का उल्लेख नहीं किया गया हो या नोटिस में वास्तविक चेक राशि से भिन्न राशि का उल्लेख किया गया हो, तो ऐसा नोटिस विधि की दृष्टि में अमान्य होगा। परंतुक (ख) के अनुसार नोटिस दंड संहिता का एक प्रावधान और अपराध की एक शर्त होने के नाते, इसमें अनादृत चेक की राशि का उल्लेख स्पष्ट होना चाहिए। यदि नोटिस में चेक का विवरण उल्लिखित है, लेकिन चेक की संबंधित राशि का सही उल्लेख नहीं किया गया है, तो इससे ऐसे नोटिस की वैधता विधि में मान्य नहीं हो जाएगी। यहां नोटिस को समग्र रूप से पढ़ने का सिद्धांत लागू नहीं होता और अप्रासंगिक है। इसके व्याख्या में किसी भी प्रकार की लचिलता नहीं दी जा सकती / इसे तकनीकी व्याख्या दी जानी चाहिए। ”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अंत में यह प्रस्तुत किया कि शिकायत 3 लाख रुपये के राशि का चेक के संबंध में दर्ज की गई थी, जबकि आवेदक की ओर से 20 लाख रुपये की मांग का नोटिस जारी किया गया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 8.1 में दिए गए निर्णय के मद्देनजर, शिकायत विचारणीय नहीं है और इसे निपटाया जाना चाहिए।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने उपरोक्त मामले की कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि आक्षेपित किए गए आदेश में कोई अवैधता या खामी से कष्ट न हों।

6. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया गया। यह आवेदन दिनांक 09.05.2024 के आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा दो आधारों पर दायर की गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था: (i) चेक पर अंकित तिथि में हेरफेर किया गया है और उसे 20.01.2019 दर्शाया गया है, जबकि चेक की वैधता 20.04.2019 तक है, और (ii) यह शिकायत समय से पहले दायर की गई है, क्योंकि यह निर्धारित वैधानिक अवधि पूरी होने से पहले दायर की गई है। यह उल्लेखनीय है कि आवेदक ने विचारण न्यायालय के समक्ष इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई कि चेक 3,00,000 रुपये का जारी किया गया था, जबकि मांग नोटिस 20,00,000 रुपये का जारी किया गया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि चेक में हेरफेर संबंधी आपत्ति की इस स्तर पर जांच नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके लिए साक्ष्य की आवश्यकता है। न्यायालय ने आगे यह भी टिप्पणी की है कि *अदालत प्रसाद बनाम रूप लाल जिंदल और अन्य* (उपरोक्त) के निर्णय के मद्देनजर, मजिस्ट्रेट के पास समन आदेश को वापस लेने का अधिकार नहीं है। चूंकि आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष सभी आपत्तियों को उठाने का अवसर दिया गया था, लेकिन उसने नोटिस में कथित अतिरिक्त मांग के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



संबंध में आपत्ति उठाने में असफल रहा, और अब धारा 528 बीएनएस के तहत वर्तमान आवेदन में पहली बार वही आपत्ति उठाई है, इसलिए इस स्तर पर ऐसी दलील पर विचार नहीं किया जा सकता है। अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 2.9.2019 के आदेश द्वारा आरोपी/आवेदक के विरुद्ध समन जारी किया गया था, आवेदक 9.8.2023 तक विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुआ। चूंकि 2.9.2019 से 9.8.2023 तक आवेदक ने विचारण न्यायालय की कार्यवाही से परहेज किया और वर्तमान कार्यवाही में देरी की, विचारण न्यायालय ने जमानती वारंट और गैर-जमानती वारंट जारी किए। इसके बाद, धारा 82 और 83 सीआरपीसी के तहत कार्यवाही भी शुरू की गई। आवेदक ने 19.8.2023 को आत्मसमर्पण कर दिया। आवेदक का यह कृत्य स्वीकार्य नहीं है, जो केवल कार्यवाही में देरी करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे को दर्शाता है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तक अधिकतर विवादित तथ्यों से संबंधित हैं। आवेदक और शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार है, जिसका मूल्यांकन विचारण न्यायालय द्वारा किया जाएगा। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत और उचित है तथा इसमें कोई अवैधता या खामी नहीं है। तदनुसार, इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। अतः यह आवेदन तदनुसार **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

18 मार्च, 2026

के.जे.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”